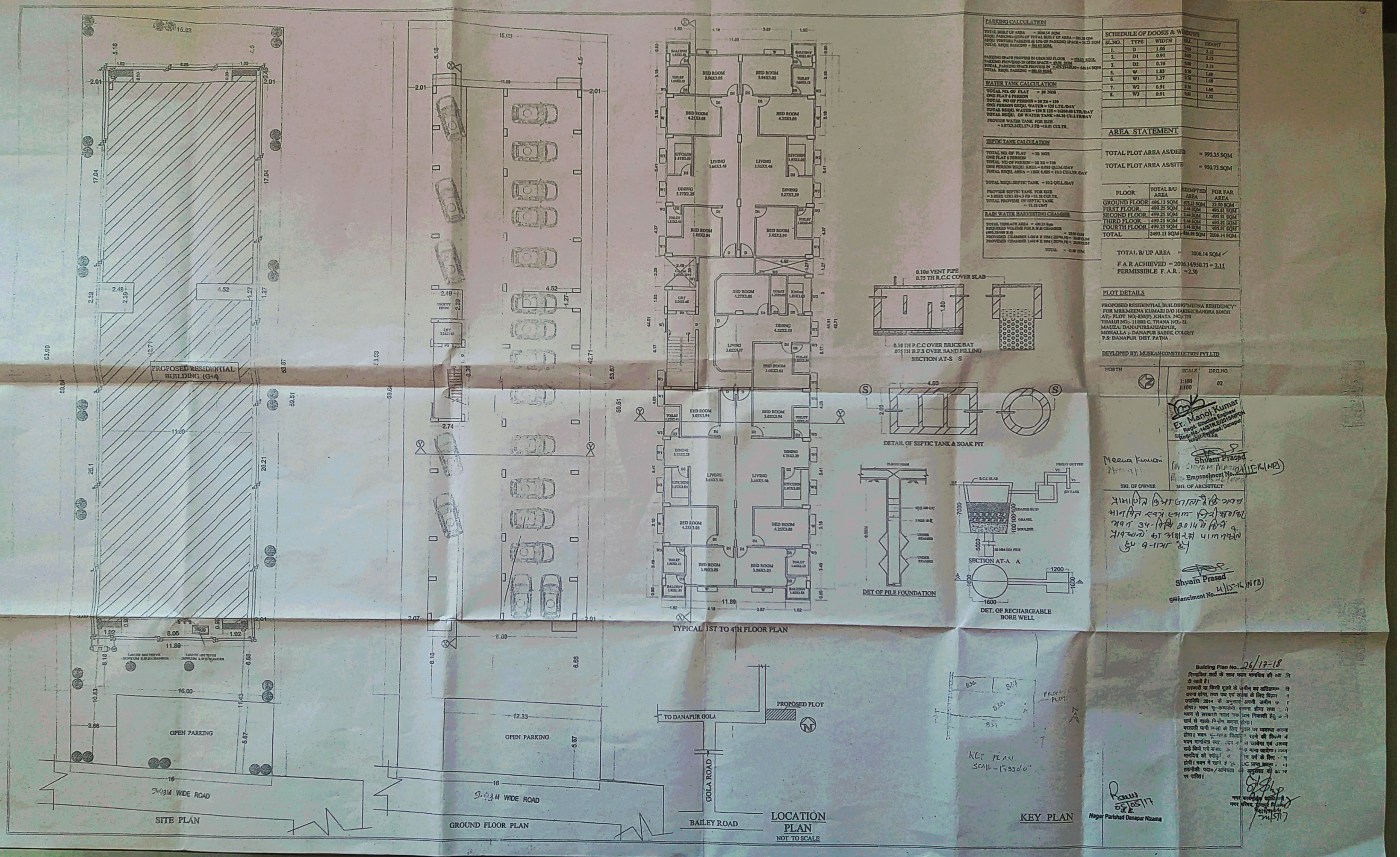

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING (G+4)
OPEN PARKING
9.14M WIDE ROAD
SITE PLAN
GROUND FLOOR PLAN
TYPICAL 1ST TO 4TH FLOOR PLAN
TO DANAPUR GOLA
PROPOSED PLOT
GOLA ROAD
BAILEY ROAD
LOCATION PLAN
NOT TO SCALE
SECTION AT-S S
DETAIL OF SEPTIC TANK & SOAK PIT
DET OF PILE FOUNDATION
SECTION AT-A A
DET. OF RECHARGEABLE BORE WELL
KEY PLAN
PARKING CALCULATION
WATER TANK CALCULATION
SEPTIC TANK CALCULATION
RAIN WATER HARVESTING CHAMBER
SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS
AREA STATEMENT
TOTAL PLOT AREA AS/DEED = 995.35 SQM
TOTAL PLOT AREA AS/SITE = 950.73 SQM
TOTAL B/ UP AREA = 2006.14 SQM
F A R ACHIEVED = 2006.14/950.73 = 2.11
PERMISSIBLE F.A.R. = 2.50
PLOT DETAILS
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING"MEENA RESIDENCY"
FOR MRS.MEENA KUMARI D/O HARISHCHANDRA SINGH
AT;- PLOT NO;-838(P) ,KHATA NO;- 720
MAUZA: DANAPURSAHJADPUR,
MOHALLA ;- DANAPUR SAINIK COLONY
P.S. DANAPUR DIST. PATNA .
DEVLOPED BY: MUSKAN CONSTRUCTION PVT.LTD
NORTH
SCALE 1:100
DRG.NO. 02
Er. Manoj Kumar
Regd. Structure Engineer
SIG. OF OWNER
SIG. OF ARCHITECT
Shyam Prasad
Building Plan No. 26/17-18
Nagar Parishad Danapur Nizamat

फारम-VIII - क

कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- **411** तिथि- **10.04.2017** के संदर्भ में /

श्रीमती मीना कुमारी, पिता-हरिशचन्द्र सिंह, पता-पूर्वी लोहानीपुर, कदम कुआँ, पटना।

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायीक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनःनिर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिर्वतन या परिवर्धन

(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु नगर परिषद दानापुर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित स्कीम के .... प्लौट नं0-838(P), खाता नं0- 720, तौजी नं0-11/802C, थाना नं0- 21, मौजा-दानापुर शहजादपुर, पता-थाना-दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखितशर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-......./17-18 तथा जिसका निर्माण क्षेत्रफल 2006.14 वर्ग मीटर हैं, में **G+4** भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 543.14 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 9.14 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहूंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 0.0 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) अन्य शर्त्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

ह० —
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:- ...26......./दिनांक:- 24/05/2017

प्रतिलिपि:- श्रीमती मीना कुमारी, पिता-हरिशचन्द्र सिंह, पता-पूर्वी लोहानीपुर, कदम कुआँ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत